5/9/2023 पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पो उप। पुकारा की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/9/2023 को पेश हो।

नोटिस 16/2 8/9/23

27.09.2023 पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोडेंट्स उपस्थित। अपीलांट पर तामील हेतु तहसीलदार बावड़ी को भेजा गया सम्मन बाद तामील/अदम तामील लौटकर नहीं आया है। अपीलांट को पुनः अदालती सम्मन जारी कर तहसीलदार बावड़ी को लिखा जावे कि वह उक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपीलांट का सम्मन स्वयं अपीलांट पर/अपीलांट घर पर नहीं होने की दशा में उसके परिवार के सदस्यो पर तामील कर भिजवाये। उक्त दोनो परिस्थितियों में सम्मन तामील नहीं होने की दशा में दो मौतबिरान की उपस्थिति में अपीलांट के आबाद मकान पर चस्पानगी के साथ तामील करवा कर तामील रिपोर्ट आगामी 07 कार्यदिवस में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते इंतजार सम्मन दिनांक 18.10.2023 को पेश हो।

18/10/23 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट जूरसिंह, उनके अधिवक्ता श्री किशनलाल एवं रेस्पो अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उप। अपीलांट की पहचान उसके आधार कार्ड से की गई तथा उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान तस्दीक की गई। अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह अपील आगे चलाना नहीं चाहते है तथा नीरस्ते विड्रो खारिज करवाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट नीरस्ते विड्रो खारिज करवायी जावे।
वकील रेस्पो ने अपील नीरस्ते विड्रो खारिज किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
उभय पक्ष को अधिवक्तागण की बहस पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने के निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट नीरस्ते विड्रो खारिज की जाती है। T.C. की पत्रावली मय आदेश भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। 18.10.23

आधार नं (94839387 3111)

अपि. जूरसिंह

Identified by Kishan Lal Prajapat Adv. 18/10/23

राजस्व अपील प्राधिकारी